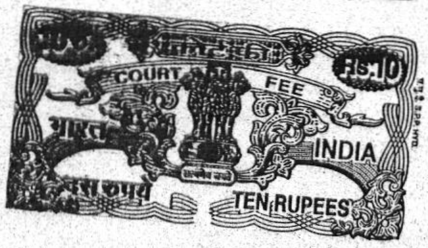

(5)

निगरानी प्र. क. /2016—17

प्रस्तुती दिनांक 20.09.2017

माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के समक्ष

श्री ललित सोनी अभि. ने दि. 20-9-17 को कैम्प प्रस्तुत किया
20-9-17

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/3502

1. रामेश्वर पिता गंगाराम खाती
2. जगदीश पिता गंगाराम खाती
3. श्रीराम पिता गंगाराम खाती
4. राधेश्याम पिता अम्बाराम खाती
5. जमनालाल पिता अम्बाराम

निवासीगण कदवाली बुजुर्ग तह सावेर जिला इंदौर

——अपीलार्थी / निगरानीकर्ता

विरूध्द

1. पर्वतसिंह पिता जयराम
2. गजराजसिंह पिता जयराम
3. निर्भयसिंह पिता जयराम

निवासीगण कदवाली बुजुर्ग तह सावेर जिला इंदौर

——प्रत्यर्थीगण

पुनःरीक्षण आवेदन पत्र म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा 50 तथा 32 के अंतर्गत

श्रीमान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सावेंर के द्वारा प्रकरण कमांक 95अ/6/2014—15 में पारित आदेश दिनांक दिनांक 18.07.2017 से व्यथीत एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत करना भाग हुआ है।

रामेश्वर / पर्वतसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/इंदौर/भू.रा./2017/3502 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1—11—2017	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—7—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज करने के आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	